1692

मध्य प्रदेश अधिनियम,
क्रमांक १८ सन् १९५६.

मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, १९५९.

एवं

संशोधन अधिनियम, १९८

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश
द्वारा प्रसारित.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 1979

क्र0 1692-21-अ॰ वि. स. ॰-79 म0 प्र0 राजभाषा ॰अनुपूरक उपबन्ध॰ अधिनियम, 1972 ॰क्र026 सन् 1972॰ की धारा 3 के अनुसारण में म0 प्र0 एग्रीकल्चर केटिल प्रिजर्वेशन एक्ट 1960॰ ॰क्र0 18सन् 1959॰ के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह उक्त धारा के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायगा. उक्त अधिनियम का अद्यतन संशोधित पाठ निम्नलिखित है।

म0 प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम. डी. भट्ट, सचिव.

म0 प्र0 अधिनियम

क्रमांक 18सन् 1956

म0 प्र0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959

विषय सूची

धाराएं:-

1. संक्षिप्तनाम, विस्तार तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति
4. कृषिक पशु के वध का प्रतिषेध
5. उन स्थानों में पशुवध का प्रतिषेध जो उस प्रयोजन के लियें नियत न किये गये हों.
6. वध के लिये कृषिक पशुओं के परिवहन का प्रतिषेध.
7. गायों, बछड़ा-बछियों या पड़ा-पड़ियों के विक्रय, क्रय या अन्यथा व्ययन का प्रतिषेध.
8. कृषिक पशुओं का मांस कब्जे में रखने का प्रतिषेध.
9. प्रवेश की शक्ति.
10. धारा 4॰1॰॰क॰ के उल्लंघन के लिये शास्ति.
11. शास्तियां.
12. सबूत का भार अभियुक्त पर होगा.
13. अपराधों का संज्ञेय होना.
14. दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न.

15. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जायेंगे.
16. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परिरक्षा.
17. छूट देने की शक्ति.
18. नियम बनाने की शक्ति.
19. निरसन तथा व्यावृत्ति.
अनुसूची.

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक 18 सन 1959

म0 प्र0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959

[24 जुलाई सन् 1959 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति म0 प्र0 राजपत्र में दिनांक 7 अगस्त सन् 1959 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

दूध देने, बोझा ढोने, अभिजनन या कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयुक्त पशुओं के परिरक्षण के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में म0 प्र0 विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

1. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम म0 प्र0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 है. — संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण म0 प्र0 पर है .

3. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे. *

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोईबात विरुध न हो :" — परिभाषायें

(एक) 1. "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया पशु,

(दो) 2. " सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु से नियुक्त किया हो कि वह इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाहन उसमें [अधिसूचना में] विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्रों में करें ,

(तीन) 3. "वध" से अभिप्रेत है किसी भी रीति से मार डालना और उसके अन्तर्गत इस प्रकार विकलांग करना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना आता है जिससे कि मामूली अनुक्रम में मृत्यु हो जायगी ,

(चार) 4, पशु चिकित्सा अधिकारी से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा तीन के अधीन उस रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी की शक्तियां विनिहित की गई हों.

3. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें म0 प्र0 साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्तिया व्यक्तियों के किसी वर्ग को, आदेश मेंविनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र के लिये पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा , या ऐसे क्षेत्र में पशु चिकित्सा अधिकारी की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति किसी व्यक्ति में विनिहित कर सकेगा. — पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति

कृषिक पशु के वध का प्रतिषेध

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी प्रथा या रूढ़ी में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति :-

(क) गायों, गायों के बछड़ें-बछियों या भैंस के पाड़े पाड़ियों, या.

(ख) अन्य किसी कृषिक पशु का.

तब तक वध नहीं करेगा/या वध नहीं करवायेगा या वध किये जाने के लिये उसे तब तक प्रस्थापित नहीं करेगा या प्रस्थापित नहीं करवायेगा तब तक उसने ऐसे पशु के संबंध में उस क्षेत्र के, जिसमें उस पशु का वध किया जाना हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो कि पशु, वध किये जाने योग्य है.

---

* यह अधिनियम 15 जनवरी सन 1960 को प्रवृत्त हुआ, देखिये" म0 प्र0 राजपत्र "असाधारण, दिनांक 9 जनवरी सन 1960 में प्रकाशित म0 प्र0 शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 46-25-91-चौदह वेटी-59, दिनांक 4 जनवरी सन 1960.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधिन कोई भी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक जारी नहीं किया जायगा, जब तक कि पशु चिकित्सा अधिकारी उस पशु कि जांच करने के पश्चात, यह प्रमाणित न कर दे कि -

*(क) वह पशु-

(एक) 15 वर्ष से अधिक आयु का है, या

(दो) क्षति अंगविकार या किसी असाध्य रोग के कारण काम करने या अभिजनन के लिये स्थायी रूप से असमर्थ होगया है और ऐसी स्थायी असमर्थता विमर्शन: कारित नहीं की गई है, और

(ख) वह पशु किसी ऐसे रोग से ग्रस्त नहीं है जिससे कि उसका मांस मानवीय उपभोग के लिये अस्वास्थ्यकर हो जाय.

*[(3) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर दे, वहां अपने कारणों को लेखा बद्ध करेगा और ऐसे इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति, उसकी सूचना दी जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर इंकार के आदेश के विरूध अपील जिले के कलेक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करें, कर सकेगा और कलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह उचित समझे.]

(4) उप धारा (3) के अधिन अपील में यदि कोई हो, पारित किये गये आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और वह किसी भी न्यायलय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

+[(5) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र, उसके जारी किये जाने कि तारीख से दस दिन के लिये विधिमान्य रहेगा]

उन स्थानों में पशु वध का प्रतिषेध जो उस प्रयोजन के लिये नियत न किये गये हों.

++[5. किसी भी ऐसे पशु का, जिसके संबंध में धारा 4 के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, वध उस स्थान के, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस प्रयोजन के लिये नियत किया गया हो, भिन्न किसी स्थान में, और यदि ऐसी विधि में उसके लिये उपलब्ध न किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थान से भिन्न किसी स्थान में नहीं किया जायगा.]

वध के लिये कृषिक पशुओं के परिवहन का प्रतिषेध

6. कोई भी व्यक्ति किसी कृषिक पशु का इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में उसके वध के प्रयोजन के लिये या यह ज्ञान रखते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जायेगा या उसका इस प्रकार वध किये जाने कि संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को परिवहन नहीं करेगा या उसके परिवहन के लिये प्रस्थापना नहीं करेगा या उसका परिवहन नहीं करवायेगा .

गायों, बछड़ा बछियों या पड़ा पड़ियों के विक्रय, क्रय या अन्यथा व्ययन का प्रतिषेध.

7. कोई भी व्यक्ति गायों, बछड़ा या पड़ा पड़ियों का वध के लिये या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि ऐसे पशुओं का वध किया जायगा न तो क्रय करेगा, न विक्रय करेगा और न अन्यथा व्ययन करेगा और न उनका क्रय करने, विक्रय करने या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना करेगा और न उनका क्रय, विक्रय या अन्यथा व्ययन करवायेगा.*

कृषिक पशुओं का मांस कब्जे में रखने का प्रतिषेध

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृषिक पशु का मांस अपने कब्जे में नहीं रखेगा जिसका वध इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किया गया हो.

प्रवेश की शक्ति

9. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिये, सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, यह शक्ति होगी की वह अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, प्रवेश करे तथा उनका निरीक्षण करें .

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने के लिये अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह (पूर्वोक्त) प्रयोजन के लिये अपेक्षित करे, और यथास्थिति सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा.

* म0 प्र0 अधिनियम क्र0 22 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया.
** म0 प्र0 अधिनियम क्र0 22 सन् 1961 द्वारा प्रतिस्थापित की गई.

धारा 4 (1) (क) के उल्लंघन के लिए शास्ति

10. जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो एक हजार रू तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायगा.

परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष एवं कारणों के सिवाय ऐसा कारावास छ: मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना तीन सौ रूपये से कम का नहीं होगा.

शास्तियाँ

11. जो कोई इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का, जो धारा (4) की उपधारा (1) के खण्ड (क) से भिन्न हो उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायगा.

सबूत का भार अभियुक्त पर होगा.

12. इस अधिनियम की धारा 5, 6 या 7 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि कृषिक पशु का वध, परिवहन या विक्रय इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में नहीं था.

अपराधों का संज्ञेय होना

13. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (क्र0 5 सन् 1898) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे.

दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न

14. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रत्यन करेगा, वह ऐसे दण्ड से दण्डित किया जायगा जो कि ऐसे अपराध के लिये इस अधिनियम में उपबन्धित किया गया है.

इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जायेंगे.

15. समस्त सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हों, भारतीय दंड संहिता 1860 (क्र0 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाहियों को संरक्षण

16. किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी.

17. *[(1)] राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किन्हीं भी धार्मिक, चिकित्सीय या गवेषणा संबंधी प्रयोजनों के लिये किसी भी भैंसा या भैंस के वध का या उसके मांस के कब्जे में रख जाने को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी. छूट देने की शक्ति

**[(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को जो कलेक्टर की पदश्रेणी का न हो, उपधारा (1) के अधीन अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।]

18. (1) राज्यसरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी. नियम बनाने की शक्ति.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :-

(क) वह प्रारूप तथा रीति जिसमें धारा 4 के अधीन प्रमाण पत्रों के लिये आवेदन किये जायेंगे और ऐसे आवेदनों के संबंध में देय फीस.

(ख) धारा 4 के अधीन जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(ग) वे स्थान जिनमें पशुओं का वध इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा.

---

* म0 प्र0 अधिनियम क्र0 8 सन् 1962 द्वारा पुनर्क्रमांकित की गई.

** म0 प्र0 अधिनियम क्र0 8 सन् 1962 द्वारा अन्तःस्थापित की गई.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

19. सेन्ट्रल प्राविंसेस एण्ड बरार एनीमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1949 क्र0 52 सन् 1949, मध्य भारत कृषि उपयोगी पशु रक्षण विधान, संवत 2006 क्र4 सन् 1949, राजस्थान प्रिजर्वेशन आफ एनीमल एक्ट, 1950 क्र0 4 सन् 1950 जहाँ तक की वह सिरोंज क्षेत्र से संबंधित है तथा भोपाल स्टेट एनीमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1954 क्र 7 सन् 1954 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं:
परंतु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:-

(एक) इस प्रकार निरस्त की गई किसी विधि का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई बात या.

(दो) इस प्रकार निरस्त की गई किसी विधि के विरूध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या.

(तीन) यथापूर्वोक्त किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और.

कोई भी ऐसा अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा. मानो की यह अधिनियम पारित ही नही किया गया था.

अनुसूची

(धारा 2 (एक) देखिये)

1-/ सभी आयु की गायें.

2-/ बछड़ा-बछिया और पड़ा-पड़िया.

3-/ सांड

4-/ बैल

5-/ भैंसा तथा भैंसे

म0 प्र0 एग्रीकल्चरल केटिल प्रिजर्वेशन एक्ट 1960 (क्र0 18 सन् 1959) का उपरोक्त हिन्दी अनुवाद म0 प्र0 राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधिन राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के हेतु राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जा चुका है.

एम. जी. भटट. सचिव

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534] भोपाल मंगलवार, दिनांक 20 नवम्बर 1984 कार्तिक 29, शके 1908

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 1984

क्र0 23505 इक्कीस-अ(प्रा) म0 प्र0 विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 नवम्बर 1984 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

म0 प्र0 के राज्यपाल के नाम से/तथा आदेशानुसार

एम. एम. दुबे विशेष सचिव

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक 51 सन 1984

मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1984

विषय सूची

धाराएं:

1-/ संक्षिप्त नाम.

2-/ धारा 2 का संशोधन.

3-/ धारा 6 का संशोधन.

4-/ नवीन धारा 6-क, 6-ख और 6-ग का अन्तःस्थापन

5-/ धारा 9 का संशोधन.

6-/ धारा 10 के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन.

7-/ धारा 11 का संशोधन.

8-/ धारा 18 का संशोधन.

9-/ निरसन.

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक 51 सन 1984

मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1984

(दिनांक 20 नवंबर 1984 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति म0 प्र0 राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 20 नवंबर 1984 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंतिसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

संक्षिप्त नाम — 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1984 है.

धारा 2 का संशोधन — 2. मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 (क्रमांक 18 सन 1959) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (दो) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात्:-

"(दो-क) "निर्यात" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को ले जाना,"

धारा 6 का संशोधन — 3. मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "कृषिक पशु" के स्थान पर शब्द "गाय या बछड़ा-बछिया से भिन्न कृषिक पशु" स्थापित किये जाएं.

नवीन धारा 6-क, 6-ख और 6-ग का अन्तः स्थापन — 4. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अन्तः स्थापित की जाएं अर्थात्:-

गाय आदि के निर्यात पर निर्बन्धन — "6-क. कोई भी व्यक्ति, गाय या बछड़ा-बछिया का इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या यह रखते हुए कि उसका वध किया जाएगा या यह कि उसका वध किये जाने कि संभावना है, वध के प्रयोजन के लिये निर्यात न तो स्वयं करेगा और न ही अपने अभिकर्ता या नौकर के मार्फत अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत करवायेगा.

6-ग. राज्य सरकार गायों या गऊड़े-बछियों के निर्यात के लिये विशेष अनुज्ञापत्र दे सकेगी, यदि उसकी यह राय हो कि वैसा करना लोकहित में होगा. विशेष छूट

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में,- धारा 9 संशोधन.

(एक) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाय, अर्थात्:-

"प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति";

(दो) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं अर्थात् :-

(3) हेड कान्स्टेबल की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 6-क तथा धारा 6-ख के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने के लिये कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है :-

(क) गायों या बछड़ा-बछियों के निर्यात के लिये उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या उसमें प्रवेश करने, उसे रोकने और उसकी तलाशी लेने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) उन गायों या बछड़ा बछियों का जिनके बारे में उसे यह संदेह हो कि धारा 6 क या 6-ख के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उन यानों सहित जिनमें ऐसी गायें या बछड़े-बछियों पाई जाए अभिग्रहण कर सकेगा या उनका अभिग्रहण किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा और तत्पश्चात् वे समस्त उपाय कर सकेगा या उनका किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार अभिग्रहित की गई गायों या बछड़ों-बछियों तथा यानों को न्यायालय में पेश किया जाना है, तथा इस प्रयोजन के लिये कि पेश किये जाने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है, आवश्यक हो,

निर्यात के लिये अनुज्ञापत्र

6-(1) कोई भी व्यक्ति जो गायों या बछड़े बछियों का निर्यात करना चाहता हो, अनुज्ञापत्र के लिए ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे, आवेदन करेगा जिसमें वे कारण कथित किये जायेंगे जिनकी वजह से उनका निर्यात किया जाना है तथा साथ ही उन गायों तथा बछड़े बछियों की संख्या जिनका, तथा उस राज्य का नाम जिसको, निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, कथित किया जायगा, और यह इस आशय की घोषणा भी फाइल करेगा कि उन गायों या बछड़े-बछियों का, जिनके निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, वध नहीं किया जायगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, आवेदन की प्रार्थना की वास्तविकता/अवास्तविकता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, आवेदन में विनिर्दिष्ट गायों या बछड़े बछियों के निर्यात के लिये या तो उसे अनुज्ञापत्र दे सकेगा या अनुज्ञापत्र देने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु अनुज्ञापत्र दिए जाने के लिये किया गया कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और नामंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न किए गए हो.

परंतु यह और भी कि गायों या बछड़े बछियों का ऐसे राज्य को निर्यात किये जाने के लिये अनुज्ञापत्र नहीं दिया जाएगा जहाँ गौ वध पर विधि द्वारा पाबन्दी न लगाई गई हो.

3. अनुज्ञापत्र का प्रारूप तथा अनुज्ञापत्र देने के लिए फीस ऐसी होगी जो कि विहित की जाए.

(4) तलाशी तथा अभिग्रहण के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) की धारा 10 के उपबंध जहाँ तक हो सके इस धारा के अधीन की तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे,

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए अर्थात :- धारा 10 के स्थान नवीन धारा का स्थापन

"10. जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा 6-क या धारा 6-ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा: धारा 4, 6-क तथा 6-ख के उल्लंघन की शास्ति.

परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष तथा पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसा कारावास छह मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रूपये से कम का नहीं होगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क)" के स्थान पर शब्द कोष्टक, अक्षर, तथा अंक "धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा-6 क या धारा 6-ख स्थापित किये जाएं. धारा 11 संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात:- धारा 18 का संशोधन.

"(घ) धारा 6-ख की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापत्र का प्ररूप तथा अनुज्ञापत्र देने के लिये फीस".

9. म0 प्र0 कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1984 (क्र0 19 सन् 1984) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है. निरसन.

भोपाल दिनांक 20 नवंबर 1984

क्र. 2. 3506 इक्कीस स. अ. (प्र) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में मध्य प्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1984 (क्रमांक 5 सन 1984) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशा-
एम. एम. दुबे विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 1960 पौष 14, 81811 क्रमांक 46-2591 चौदह-पशु चिकित्सा, 59- म0 प्र0 कृषि उपयोगी पशु परिरक्षण अधिनियम-1959(क्रमांक 18, सन1959) की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा, 15 जनवरी 1960 को ऐसे दिनांक के रूप में नियत करता है, जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

क्र0 47-2591- चौदह-पशु चिकित्सा 59-म0 प्र0 कृषि उपयोगी पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 क्रमांक 18, सन 1959 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विषय पर बनाये गये समस्त पूर्व नियमों को निष्प्रभाव करते हुए, राज्य शासन एतद् निम्न लिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

1. ये नियम म0 प्र0 कृषि उपयोगी पशु परिरक्षण नियम, 1959 कहलायेंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो (क) "अधिनियम" से तात्पर्य म0 प्र0 कृषि उपयोगी पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 (क्रमांक 18 सन 1959) से है।

(ख) "फार्म" से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न फार्म से है।

(ग) "धारा" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा से है।

3. किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 4 के अधीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारी को फार्म क्रमांक 1 में जो कि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा, दिया जायगा, ऐसे आवेदन पत्र के साथ प्रति पशु जिसके कि वध की अनुमति चाही जाय, के लिये (3 तीन रूपये के हिसाब से फीस देनी होगी। फीस नगद दी जायगी और उसके लिये सक्षम प्राधिकारी से रसीद प्राप्त की जायगी।

4. नियम 3 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी कृषि उपयोगी पशु रखने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि वह पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जांच की जाने के लिये ऐसे पशु को प्रस्तुत करे और तदुपरान्त ऐसे पशु को रखने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसे तदनुसार जांच के प्रस्तुत करें और ऐसी जांच के संबंध में समस्त युक्तियुक्त सहायता पहुंचाये।

5. यदि पशु को ऐसी परीक्षा के पश्चात पशु चिकित्सा पदाधिकारी का यह समाधान हो जाय कि :-

* (क) पशु

(एक) 15 वर्ष से अधिक आयु का है, या

(दो) चोट, विरूपता या किसी असाध्य रोग के कारण काम करने या अभिजनन के लिये स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है और ऐसी स्थायी असमर्थता जानबूझकर उत्पन्न नहीं की गई है और ,

(ख) पशु ऐसे किसी रोग से ग्रस्त नहीं है, जिससे कि उसका मांस मानवोपभोग के लिये अस्वास्थ्यकर हो जाय ।

तो वह पशु के संबंध में तदनुसार प्रमाण पत्र देगा और उसके किसी एक गाल पर अक्षर (टी) दाग दिया जायेगा ।

6. पशु चिकित्सा पदाधिकारी पशु की जांच का प्रमाण पत्र फार्म क्रमांक-2 में जारी करेगा और उसे सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ।

7. पशु चिकित्सा पदाधिकारी से जांच का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी उस मामले पर विचार करने के पश्चात फार्म क्रमांक-3 में प्रमाण पत्र जारी करेगा या ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करेगा ।

8. 1. यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें कि स्थानिय प्राधिकारी के संबंध में प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन वध के लिये कोई स्थान नियत न हो तो सक्षम प्राधिकारी ऐसा स्थान नियत करेगा, जहाँ इस अधिनियम के अधिन पशुवध किया जा सकेगा ।

2. वध का स्थान नियत करते समय सक्षम प्राधिकारी उस स्थान की सफाई संबंधी दशा तथा वहाँ के निवासियों की भावना का सम्यक ध्यान रखेगा और वह यह भी देखेगा कि वह स्थान ऐसा है, जहाँ होने वाला पशुवध लोगों को दिखाई न दे ।

---

* (म0 प्र0 शासन कृषि (प.चि.) की अधिसूचना क्र5704-3850/पशु.चि.,भोपाल दिनांक 19 अगस्त, 1961 से अन्तःस्थापित किया गया)

फार्म क्रमांक-1

(नियम 3 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी

------------------- को

मैं (नाम) ------------------------- निवासी ------------------

तहसील ------------------------- जिला ------------------------------------

यह निवेदन करता हूँ कि मुझे नीचे उल्लिखित कृषि उपयोगी पशुओं के वध के लिये म0 प्र0 कृषि उपयोगी पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959, की धारा चार की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

मैं इसके साथ प्रति पशु के लिये 3 रूपये फीस भी प्रस्तुत करता हूँ।

पशु का प्रकार वर्णन

सांड

बैल

भैंसा

दिनांक ----------

पता ------------- आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म क्रमांक-2

[नियम 6 देखिये]

कृषि उपयोगी पशु की जांच का प्रमाण पत्र

क्रमांक ____________

दिनांक ____________________

मैंने आज श्री ______________________________ के नीचे वर्णित कृषि उपयोगी पशु कि ____ पर जांच कर ली है और मैं इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि :-

* [क] पशु 15 वर्ष से अधिक आयु का है / नहीं है या चोट, विरूपता, या किसी असाध्य रोग के कारण काम करने या अभि- जनन के लिये स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है / नहीं हुआ है और ऐसी स्थायी असमर्थता जानबूझकर उत्पन्न की गई है / नहीं की गई है और

[ख] पशु ऐसे किसी रोग से ग्रस्त है / नहीं है, जिससे कि उसकी मांस मानवोपभोग के लिये अस्वास्थ्यकर हो जाय.

पशु का वर्णन

1. पशु का प्रकार
2. नर या मादा
3. आयु
4. वर्णन

पशु चिकित्सा पदाधिकारी के

हस्ताक्षर

फार्म क्रमांक-3

(नियम 7 देखिये)

पशु के वध योग्य होने का प्रमाण पत्र

क्रमांक दिनांक

मास वर्ष

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --

आत्मज -- तहसील --

जिला -- का नीचे वर्णित पशु, वध योग्य है ।:-

1. पशु का प्रकार
2. नर या मादा
3. आयु
4. वर्णन

वह स्थान जहाँ कि म0 प्र0 कृषि उपयोगी पशु परिरक्षण की धारा 5 के खण्ड (दो) के अधीन पशु का वध किये जाने की अनुमति हो ।

** । यह प्रमाण पत्र इसके जारी होने के दिनांक से (दस) दिन की अवधि तक मान्य होगा ।

सक्षम प्राधिकारी

---

* (म0 प्र0 शासन कृषि (प.चि.) विभाग की अधिसूचना क्र0 5704/3830/XIV/प.चि.

** भोपाल दिनांक 19 अगस्त 1961 से अंतःस्थापित किया गया)

मध्य प्रदेश शासन
कृषि विभाग

भोपाल, दि० जनवरी 4, 1960
पौस 14, 1881

अधिसूचना

क्रमांक 40-2591 चौदह पशु चिकित्सा -59 म० प्र० कृषि उपयोगी पशु परिक्षण अधिनियम 1959 (क्रमांक 18, सन् 1959) की धारा 2 के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (दो) में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थायी प्रविष्टी में उल्लिखित स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है ।:-

सारणी

क्रमांक 1	व्यक्ति का नाम 2	स्थानीय क्षेत्र 3
1	महाकोशल क्षेत्र की नगरपालिका समितियों के सचिव अन्य क्षेत्रों की नगरपालिकाओं या नगर पालिक मंडलों म्युनिसिपल बोर्ड्स) के कार्यपालिक पदाधिकारी उज्जैन और रतलाम के नगरपालिका आयुक्त	संबंधित नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र
2	तहसीलदार	नगरपालिक समितियों की सीमा के बाहर का और तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के भीतर का क्षेत्र
3	निगमों के स्वास्थ्य पदाधिकारी	संबंधित निगमों की सीमा के भीतर का क्षेत्र

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(आर० सी० मुराव)
सचिव

Government of Madhya Pradesh
Agriculture Department.

"N O T I F I C A T I O N"

Bhopal Dated 9th Jan. 1968.

No. 160/4859-XIV-Vety/In exercise of the Powers conferred by Section 19 of the Madhya Pradesh Agricultureal Cattle Preservation Act. 1959(No.18 of 1959), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rules 1959 namely:-

A M E N D M E N T S

In the said rules:-

1. For rule 3 the following rule shall be substituted namely:-

3(a) An application for a certificate under section 4 shall be made by a person to the competent Authority in Form I which may be obtained from the competent Authority. Such application shall be accompanied by a treasury challan in token of having deposited the fee prescribed under clause.

(b) Into the Goverment Treasury

(b) The fee under clause (a) above shall be rupees three per head of cattle for which permission for slaughter is sought. The fee shall be credited into the nearest Government Treasury under the head XXVII-Animal Husbandry-B-other receipts (2) Fees and other receipts".

2. In Form I appended to the said rules for the words letters and figures* I also herewith tender a fee of Rs. 3.00 per head of the cattle" rupees three per head of cattle is enclosed" shall be substituted. the words " The Treasury Challan in token of having deposited a fee of

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.
Sd/- S.L.Verma,
Secretary to Government of M.P.
Agriculture Department.

No.161/4859/XIV-Vety./Bhopal, Dated. the 9 Jan. 1963, 19 Pausa 1884.

Copy forwarded to:-

1. The All Commissioners of Divisions M.P.
2. The Inspector General of Police M.P.Bhopal.
3. The All District Superintendents of Police M.P.
4. The All Collectors of Districts M.P.
5. The Director of Vety. and Animal Husbandry Services M.P.Bhopal.
6. The All Divisional Dy. Directors of Veterinary Services,
7. The local Govt. (Urban)Deptt. M.P.Bhopal.
8. The local Govt. (Rural) Deptt. M.P.

For information in continuation of this Deptt. endt. No. 5664/4795-XIV Vety. Dated. 16-10-1962.

Copy of the Memo No. 1235/108/XIV-Vety. Dated the 27th Feb. 1963 from T.C.R.Menon Dy. Secretary to Government of Madhya Pradesh Agriculture Department to All Collectors of Districts, Madhya Pradesh and copy endorsed this office Director of Vety. and Animal Husbandry Services Madhya Pradesh Bhopal.

Sub:- Amendment to rules 3 of the M.P.Agricultural Cattle Preservation Rules, 1959.

. . . . . .

Attention is invited to para 7 of this Department Memo No.1388/2591 XIV-Vety. Dated 21st March 1960 regarding envation Act, 1959 (No.18 of 1959 in which it has been stated that the application shall be accopained by a fee of rupees 3 in cash, par head of cattle in respect of which permission fo slaughter is sought and that the application fee realised from the applicants in cash should credited into the Government Treasury. Under the Head "XXX-Animal Husbandry-B.Other receipts-(2) Fees and other receipts"

Rules 3 of the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rules 1959 has since been amended vide this department notification No.160/ 4859-XIV.Vety.dated the 9th Jan.1963 published in the Madhya Pradesh Gazett dated the 15-1-1963. According to the amended rule 3, an application to be presented to the competent Authority for seeking permission for slaughter of cattle has to be accompanied by a Trasury Challan in token of having deposited a fee of rupees three per head of cattle. This means that the applicants themselves are now reguired to credit the fee into the nearest Government Treasury under the head XXVII Animal Husbandry-B-Other receipts (2) Fees and other receipts". The instructions contained in para 7 of the memo referred to above may there-fore be deemed to have been modified to the extent indicated in the notification dated 9-1-63 a copy of which has been sent to you under this department endt. No. 161/4859 XIV Vety, dated 9.1.1963.

Copy of the Memo No. 1235/108/XIV-Vety. Dated the 27th Feb. 1963 from T.C.R.Menon Dy. Secretary to Government of Madhya Pradesh Agriculture Department to All Collectors of Districts, Madhya Pradesh and copy endorsed this office Director of Vety. and Animal Husbandry Services Madhya Pradesh Bhopal.

Sub:- Amendment to rules 3 of the M.P.Agricultural Cattle Preservation Rules, 1959.

. . . . . .

Attention is invited to para 7 of this Department Memo No.1388/2591 XIV-Vety. Dated 21st March 1960 regarding envation Act, 1959 (No.18 of 1959) in which it has been stated that the application shall be accopained by a fee of rupees 3 in cash, per head of cattle in respect of which permission f. slaughter is sought and that the application fee realised from the applicants in cash should credited into the Government Treasury. Under the Head "XXX-Animal Husbandry-B.Other receipts-(2) Fees and other receipts".

Rules 3 of the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rules, 1959 has since been amended vide this department notification No.160/4859-XIV.Vety.dated the 9th Jan.1963 published in the Madhya Pradesh Gazett dated the 15-1-1963. According to the amended rule 3, an application to be presented to the competent Authority for seeking permission for slaughter of cattle has to be accompanied by a Trasury Challan in token of having deposited a fee of rupees three per head of cattle. This means that the applicants themselves are now required to credit the fee into the nearest Government Treasury under the head XXVII Animal Husbandry-B-Other receipts (2) Fees and other receipts". The instructions contained in para 7 of the memo referred to above may there-fore be deemed to have been modified to the extent indicated in the notification dated 9-1-63 a copy of which has been sent to you under this department endt. No.161/4859 XIV Vety. dated 9.1.1963.

This may kindly be brought to the notice of all the competent Authorities under the Act. in yourdistrict.

DIRECTORARED OF VETY. SERVICES
MADHYA PRADESH

No. 8031/Vety. Bhopal

Dated the 22 th March 1963.

Copy forwarded to:-

1. All the Divisional Deputy Director of Veterinary Services,
2. All the District Livestock Officer.
3. Rinderpest Officer M.P.Bhopal for information and guidances, in continuation of this office endorsement No. 3193/Vety.Dated 2.2.1963.

sd/-

Director of Vety. Services
Madhya Pradesh
Bhopal.

Bhopal, the 19th April 1963.

No. 2297/2162-XIV Vety- In exercise of the Powers conferred by clause (ii) of section 2 of the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act. 1959. (No. 18 of 1959), the [illegible] Government here by make the following amendment in this Department notification No. 48-2591-XIV. Vety.59 dated the 4th Jan. 1960.

A M E N D M E N T.

In columm (2) of the table appended to the said notification, for the words:-

"Secretaries of the Municipal Committees in Mahakoshal Region.

Executive Officers of the Municipallities or Municipal Board in other Regions.

Municipal Commissioners, Ujjain and Ratlam." the words "Chief Municipal Officers of the Municipal Councils shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

sd/- (T.C.R.Menon)
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 5109/4191-XIV.Vety, Bhopal, dated the 16th Oct. 1963
24 Asvina 1985

In exercise of the powers confered by section 18 of the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act. 1959 (No. 18 of 1959) the State Government here by makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rule 1959 namely:-

AMENDMENTS

In the said rules:-

1. Rule 7 shall be renumbered as rule 7 (i)

2. After rule 7 (i) the following rule shall be inserted namely:-

7(ii) The Competent Authority shall arrange to take back the certificate issued by it in form III under rule 7(i) within 24 hours of the slaughter of the cattle for which the certificate was issued and shall cancel it by a rubber stamp bering the mark "Cancelled" thereon and duly signed by the Competent Authority."

3. In form III appended to the said rules, after the words "This certificate shall be valid for ten days from the date of its issued" the following shall be added namely:-

"It shall be returned to the Competent Authority for cancellation within 24 hours of the slaughter of the cattle for which it was issued."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
sd/- T.C.R.Menon.
Dy. Secretary to Government M.P.
Agriculture Department.

No. 5110/4191-XIV. Vety. Bhopal Dated the 16th October 1963 -27-
24 Avina 1985.

Copy forwarded to the:-

1. All Commissioners of Divisions Madhya Pradesh
2. Inspector of General of Police Madhya Pradesh, Bhopal.
3. All Collectors of Districts M.P.
4. All Districts Superintendents of Police M.P.
5. Director of Vety. Services M.P.Bhopal.
6. All Divisional Dy. Director of +Vety. Services, M.P.
7. Local Government (Urban)Department M.P.Bhoapl.
8. Local Government (Rural)Department M.P.Bhoapl.

for information in continuation of this department endoresement No. 2208/XIV. Vety. Dated 19.4.1963.

2. Collectors of districts are reguested to bring the amendment to the notice of all the Competent Authorities in their districts.

3. The Directo of Vety. Services M.P.Bhopal. is requested to the amendment to the notice of all the Veterinary Officers under the said Act.

sd/- T.C.R. Menon
Dy. Secretary Agriculture Deptt.

No. 1388/2591/XIV/Vety.
Government of Madhya Pradesh
Agriculture Department.
Bhopal. Dated. March 21st 1960.

To,

All Collectors
of Districts

Director of Vety. &
Animal Husbandry Services
Madhya Pradesh Rewa.

Sub:- Inforcement of the Madhya Pradesh Agricultureal Cattle Preservation Act. 1959 (No.18 of 1959).

. . . . . .

The Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act. 1959 (No. 18 of 1958) published in part IV of the Madhya Pradesh Gazette dated the 14th August 1959, has been brought in to force with effect from the 15th January 1960 vide this department notification No. 46$2561/XIV-Vety. dated the 1th January 1960 published in the Madhya Pradesh Gazette Extraordinary dated the 9th January 1960. The rules framed under section 18 of the said Act, have also been published in the said Gazette dated 9-1-1960. Printed copies of the Act. Rules and other notification declaring competent Authorities and authorising the Assistant Collectors to hear appeals will be supplied by the press.

2. The essence of the Act. is contained in section 4 of the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act. 1959. Sub-section (1) of this section provides a camplete ban on the slauther of cows, calves of cows or calves of the she-buffaloes. The slaughter of agricultural cattle other than these mentions above and as indicated in clause(b) of the said subsection is however by the Competent authority of the area concerned that the cattle is fit for slaughter and should there fore be regulated by granting certificates. It may be stated that Government have since declared competent Authorities under the Act vide notification No.18/2591-XIV-Vety. dated.4.1.

published in the Extraordinary Gazette dated 9.1.60.

3. Before issuing a certificate under sub-section (2) of section 4 in the Form-III by the Competent Authority both the Veterinary Officer and the Competent Authority for the area have to satisfy themeselves that:-

(a) The cattle is over [illegible] of age is unfit for work or breeding or had become permanently incapacitated from work or bre[illegible] due to age, injury, deformity or an incurable disease and:

(b) The cattle is not suffering from any disease which makes its meat unwholesome for human consmption.

After the cattle for which permission has been sought for slaughter is examined accordingly and a certificate issued in From II by the Veterinary Officer. the animal has to be branded by him with letter "C" and the certificate in Form II has to be forwarded to the Competent Authority of the area concerned.

It is, however pointed out that as indicated in this department secret memo No. 857/1027/XIV-Vety. dated 27.2.60. the provision under section 4(part) of the Act, alongwith certain other sections, has been challenged in the supereme court of India, which has granted stay order restraining the State Governemtn from enforcing the provisions under the above section 4 (part so far as they apply to the and she buffaloe, bulls and bullocks over the age of 14 years. There-fore until further orders the age limit of 20 years mentioned in para 3 (a) Supra will not be in force. The certificates may therefore until furhter orders be issued in respect of he and she buffaloe, bulls and bullocks over the age of 14 years subject to the fulfillment and other conditions. As regards the provisions of other section challenged in the Supereme Court, the detailed instructions has already been issued vide this department secret memo. dated 27.2.60 referred to above.

4. Sub-section (3) of section 4 provides for an appeal to the Collector of the district against the order of the Competent Authority. State Governme[nt] have since delegated the powers of hearing appeals against the orders of th[e]

Competeht Authoritieswithin their jurisdication to the Assistant Collectos vide this department notification No. 49/2581-XIV-Vety. dated 4-1-60 published in the M.P.Gazette Extraordinary dated 9-1-60.

5. Attention is invited to Section of the Act. which prescribes the time limit and the place for slaughter of an animal in respect of which a certificate has been issued. Rule of the Rules under the Act empowers the Competent Authority to fix place at which the cattle may be slaughter under the Act, in areas in which there may be no place fixed for slaughter by or under a law relating to local authority in force. As a result of the stay order or the Act relating to time limit for slaughter of animal should not be enforced until further orders.

6. The power to grant exemptions from the operation of the Act. under section 17 have been retained by the state Government themselves. In case any exemption is considered necessary under this section a reference amy please be made to this department.

7. It will be seen from the rules framed under the Act. that a person who intends to slaughter a cattle has to apply to the Competent Authority of the area concerned in from-I. The application shall be accompanied by a fee of rupees three in cash per bead of cattle in respect of which permission for slaughter is sought. The applicant has to produce the cattle intended for slaughter for examination by the Veterinary Officer of the area. The Competent Authority can issue or refuse a certificate in FormIII. after a certificate in Form-II is received from the Veterinary Officer.

The fee of Rs. 3/- (Rupees Three) per head of cattle tobe recovered under the Act. is not refundable as the fee is to be charged for the examination of cattle. The amount of applicationfee realised from the allpicats in cash should be credited into the Government Treasury under the head XXX-Animal Husbandry-B-otherReceipts-(2) Fees and other receipts.

8. As it will take some time to bring the forms prescribed under the Act on the Schedule, it is requsted that the Competent Authorities in your district may be requested to get the Form-I and-III cylostyled and supply copies of Form-I (form of application) to the persons on demand. The Director of Vety. and Animal Husbandry Services Madhya Pradesh Rewa, is requested to get Form-II printed and supply copies to the Vety. Officers to be declared by him under section3 of this Act. Collectors will please forward copies of these instructions to all competent authorities working within the jurisdication of their district. The Director of Veterinary and Animal Husbandry Services will take action to forward copies to the Veterinary Officers.

9. The Director of Veterinary and Animal Husbandry Services Madhya Pradesh, Rewa, has since appointed Veterinary Officers for the respective local areas vide his order No.3894/Vety.dated 4-2-60 a copy of which is enclosed herewith for your information.

sd/- B.K.Dube
Deputy Secretary to Govt M.P.
Agriculture Department.

No.1389/2591/XIV-Vety/ Bhopal Dated March 21st 1960

Copy forwarded to the:-

1. All Commissioners of Divisions.
2. Local Government (U) and (R) Departments.
3. Inspector General of Police M.P.Bhopal.
4. Health Officer Cooperation Indore/Gwalior/Jabalpur. for information (necessary action)

( ) for serial No. 4

sd/-
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

AGRICULTURE DEPARTMENT

No. 5135/4682-XIV-Vety. Bhopal Dated the 19th October 1963. 27 Asvina 1985

To,

All Collectors of Districts

Madhya Pradesh

Sub:- Bringing forms prescribed under the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rules 1959 on the schedule.

Ref:- This Department memo No. 5406/5343-XIV-Vety. Dated 22-11-60.

Government have decided that Form-I (form of application) From-II (certificate of an agricultural cattle) and From-III (certificate ofthe cattle being fit for slaughter) prescribed under the Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Rules 1959 should be brought on the Schedule ofthe Veterinary Department against serial No. 164 165 and 166. Accordingly section has been accorded for printing 43,000 copies of each of the above forms which be stocked with the press.

2. Besides, Government have also decided to bring the following forms prescribed under this department memo No. 6002/ 3840/XIV- Vety dated the 9th September 1961 on the schedule.

For'A:- Register to be maintained by the copetent Authority showing certificates issued and fee realised under the M.P. Agricultural Cattle Preservation Act. 1959.

From'B:- Monthly statement showing number of cattle permitted for slaughter and fee realised during the month.

From'C':-Register to be maintained by the Vety. Officer showing the details of Cattle examined and for which certificate issued by him under the M.P. Agricultureal Preservation Act. 1959.

3. You may there fore send your indents if any direct to the Superintendents Government Printing M.P. Bhopal obtain from him the required number of copies of the forms for supplying to the Competent Authorities

and Veterinary Officers appointed under the M.P. Agricultural Cattle Preservation Act. 1959 in your district.

sd/- (A.H. Kidwai)
Asstt. Secretary to Govt. of M.P.

No.3136/4682-XIV-Vety. Bhopal Dated the 19th October 1963
27 Asvina 1885.

Copy forwarded to the Liretor of Veterinary Services Madhya Pradesh Bhopal for information in continuation of this department memo No. 3929/3301/-XIV- Vety Dated 2.8.1963.

2. Copy forwarede to the Superintendedt Government Printing M.P. Bhopal for information and necessary action in continuation of this department endoresement No. 3930/3301-XIV-Vety. dated 2.8.1963.

3. Copy forwarded to all Commissioners of Divisions for inforamtion.

sd/-
Assistant Secretary.

Copy of letter No. 6188/3931/XIV-Vety dated 16th December 1964 from Asstt. Secretary to Govt. pf Madhya Pradesh Agriculture deptt Bhopal to the Director of Veterinary Services M.P.Bhopal.

Sub:- M.P.Agricultural Cattle Presservation Act. 1959-Payment of remuneration etc. Veterinary Officer examining and certifying Cattle.

Ref:- Your memo No. 18539/Vety. dated 11.7.63 and memo No. 17383/23 Vety. Dated 13.7.64,

- - - -

The Madhya Pradesh Agriculture Cattle Preservation Act. 1959 (No 18 of 1959) is in force in the State and as required vide section 3 of said Act. all Vety. Asstt. Surgeon/ Sub-Vety. Asstt. Surgeons/ Veterinary supervisors (Two years Course) have been appointed as the Veterinary Officers for the purposes of the Act. As required vide rule 5 and 6 of the Madhya Pradesh Agriculture Cattle Preservation Rules, 1959, these Vety. Officers are required to examine and certifiy the fitness or unfitness of cattle for slaughter term, that a work with they will habe to do in addition to their normal duties.

According to clause (b) of rule 3 of said rules a person seeking permission for slaughter of cattle under the provision of the said Act., has to credit into the Government Treasury a fee of Rs. 3.00 per head of cattle. A question was therefore raised that the Veterinary Officers applinted under the Act. should be paid remunaration for doingthe above additional duties. After considering the question Government have decided that such Vety. Officers as are appointed under the M.P.Agriculture Cattle preservation Act. 1959 to do the work of examining and certifying fitness of otherwise of cattle for slaughter in addition to their own duties should be paid remuneration according to the following sliding scale.

for 300 cattle and above	Rs. 50/- (Rs. fifty) Only P.M.
for 250 to 299 cattle	Rs. 45/- (Fourty five) Only P.M.

For 200 to 249 cattle	Rs. 40/- (Fourty) Only P.M.
For 150 to 199 cattle	Rs. 35/- (Rs. Thirty Five) Only P.M.
For 100 to 149 cattle	Rs. 30/- (Rs. Thirty) Only P.M.
For upto 99 cattle	Rs. 1/- (Rs. One) Only per head of cattle only P.M. which is admissible to Vety. Asstt. Surgeon for supervising.

Slaughter house of goats etc.
Under exception below S.R.2 to F.R.47 Vt.

These orders shall not be applicable in the case of fulltime qualified Veterinary Asstt. Surgeons, appointed exclusively for work relating to slaughter of cattle in the slaughter houses under the management of big Municipal councils and Corporations under taking examination of cattle under the said Act.

These order shall have effect from the date of issue.

By order in the name of the
Governor of Madhya Pradesh